बिहार विधान सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि १८ अप्रिल, १९५०

भारत के संविधान उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटन में मंगलवार तिथि १८ अप्रिल १९५० को १० बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

Starred Questions and Answers

BETTIAH LAND SETTLEMENT AND MOLASSES AFFAIRS.

×*214. SHRI RAMESHWAR PRASAD SINGH (GAYA) : Will Hon'ble the Revenue Minister be pleased to state—

(a) whether the attention of Government has been drawn to the report of Sardar Vallabhbhai Patel in respect of Bettiah Land Settlement and Molasses affairs published in local papers;

(b) if the answers to clause (a) be in the affirmative, will Government be pleased to lay on the table a statement showing the names of the gentlemen who have taken statement of lands of Bettiah and other Estates apart from Mr. R. P. N. Sahi as hinted in the aforesaid report ?

The Hon'ble Mr. Krishna Ballabh Sahay : (a) The answer is in the affirmative.

(b) Government are not aware of any such hint in the aforesaid report.

श्री रामविनोद सिंह :

साठी लैंड के सम्बन्ध में Congress Working Committee ने जो recommendation किया है उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने क्या किया है ?

The Hon'ble Mr. Krishna Ballabh Sahay : In pursuance of the wishes of the Working Committee, the Provincial

×माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में श्री अर्जुन प्रसाद मिश्र के निवेदन करने पर उत्तर दिया गया।

Government have taken all possible steps to implement their decisions. As far back as 3-2-50, the Provincial Government wrote to Mr. R. P. N. Sahi and Mr. Ram Rekha Prasad Sahi asking them to return the lands at Sathi settled with them. Reply from Mr. R. P. N. Sahi was received in his letter dated 27-2-50 and from Mr. Ram Rekha Prasad Sahi in his letter dated 27-2-50 saying that they would not return the lands. Government have in the meanwhile been examining the legal aspects of the question. The examination started so far back as 27-1-50. The examination of the legal position shows :

(1) The lands cannot be taken back from Messrs. Sahis under the Bihar Tenancy Act;

(2) The lands cannot be acquired under the Land Acquisition Act, as the Act provides that land can be acquired only for public purposes. Moreover, compensation would have to be paid at market rate, plus percent for inconvenience.

(3) A suit can, however, be filed under Court of Wards' Act for restoration of the land.

(4) Special legislation may be undertaken for restoration of the lands. But in accordance with Article 31 of the Constitution, such legislation will have to provide for payment of compensation. In the circumstances, Government have decided that since Messrs. Sahis have refused to return the land, a civil suit should be filed and necessary instructions in this regard have been issued to the law officers. But if it is thought that a special legislation should be enacted, Government are agreeable to undertake such legislation.

श्री हरिनाथ मिश्र :

क्या यह बात सही है कि Congress working committee ने इस प्रकार का आदेश प्रान्तीय सरकार को दिया है कि जो कार्रवाई करनी हो वह अप्रिल के भीतर ही हो जानी चाहिये ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय :

Congress working committee की ऐसी इच्छा है और उसी के अनुसार प्रान्तीय सरकार ने अपने law officers को आदेश दिया है कि civil suit file करने की कार्रवाई करें ।

श्री हरिनाथ मिश्र :

साठी के अतिरिक्त और भी कोई ऐसे estates हैं जिनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करना चाहती है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय :

ऐसा सुझाव सरकार के सामने नहीं है।

श्री हरिनाथ मिश्र :

Congress working committee ने ऐसा कोई सुझाव दिया है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय :

Congress working committee ने जो इच्छा प्रगट की थी उसी के मुताबिक जो कार्रवाई बिहार सरकार करने जा रही है उसे हमने खुलासा कर दिया—इससे अधिक और मैं नहीं कह सकता हूँ।

श्री सैयद अमीन अहमद :

क्या गवर्नमेंट ने इस बात पर गौर किया है कि civil suits लाने में बहुत ज्यादा खर्च होगा, बहुत ज्यादा वक्त बरबाद होगा इसलिए बेहतर यही है कि इसी session में एक बिल इस हाउस के अन्दर लाया जाय ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय :

गवर्नमेंट को जो राय मिली है वह यही है कि अगर हम special enactment भी करेंगे तो उसके अनुसार हमें compensation देना पड़ेगा इसलिए तत्क्षण गवर्नमेंट का फैसला है कि civil suits file किया जाय।

श्री सैयद अमीन अहमद :

क्या गवर्नमेंट उसी basis पर compensation नहीं दे सकती है जिस basis पर जमीन्दारी ली जाती है ?

माननीय अध्यक्ष :

यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राधाकान्त चौधरी :

सरकार के पास जो रिपोर्ट आई है वह अभी है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय :

हां, है।

श्री राधाकान्त चौधरी :

तो क्या सरकार उसको मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय :

जी नहीं।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर
Short Notice Questions & Answers
अल्प सूचना प्रश्न १२

श्री जगन्नाथ सिंह :

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा और है जो कि गत सप्ताह से pending